

22- कार्यावाही क्र. 13। पीठवासी प्रतिवादी महादेव  
 ✓ विर/अनुपालना/अनुपाचार्य ने कार्यावाही की कार्यावाही  
 आदेश दिनांक 29.11.22 को पेश की

*[Signature]*

कार्यावाही पेश हुई। कठुलाय करीबन उपस्थित।  
 बकील वादी/प्रतिवादी ने जवाब हेतु  
 पुनः अदालत बाहा। अवसर दिया जाता है।  
 मिसल दिनांक 4/5/22 को पेश की।

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्र.)  
 नवलगढ़

4/5/22 कार्यावाही पेश हुई। कठुलाय करीबन उपस्थित।  
 बकील वादी/प्रतिवादी ने जवाब हेतु  
 पुनः अदालत बाहा। अवसर दिया जाता है।  
 मिसल दिनांक 13/5/22 को पेश की।

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्र.)  
 नवलगढ़

13/5/22 कार्यावाही पेश हुई। कठुलाय करीबन उपस्थित।  
 बकील वादी/प्रतिवादी ने जवाब दावा  
 हेतु पुनः अदालत बाहा। अवसर दिया जाता है।  
 मिसल दिनांक 24/5/22 को पेश की।

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्र.)  
 नवलगढ़

24/5/22 कार्यावाही पेश हुई। कठुलाय करीबन उपस्थित।  
 बकील वादी/प्रतिवादी ने जवाब दावा 5-र-  
 हेतु पुनः अदालत बाहा। अवसर दिया जाता है।  
 मिसल दिनांक 1/6/22 को पेश की।

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्र.)  
 नवलगढ़

16/6/22 पञ्जाबली पेश हुई। वाकी एवं बकील वादी  
 को वाच-चार न्यायालय समय तक भारत  
 सजावाई गई परन्तु इनसे और से कोई  
 भी आविष्ट नहीं होने से वादी अदम्य हकी  
 एवं अदम्य पेश की जा रही किया जाता है।  
 पञ्जाबली केवल सुनार द्वारा न्यायालय से सुनाया जाता  
 है तथा वादी तमील न्यायालय दफ्तर को  
 निर्णीय राज सुनार न्यायालय से सुनाया जाता

